संख्या–10/99-ने.रो./यो.सेल/90

प्रेषक,

श्री पी. उमाशंकर
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी,
समस्त नगर महापालिका,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 22 सितम्बर, 1990

ने.रो.यो. सेल नगर विकास

विषय : रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना की रूपरेखा शासनादेश संख्या–9/9–एन.आर.वाई.सेल. दिनांक 21-9-1990 द्वारा भेजी जा चुकी है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में 50,000 व्यक्तियों को रिक्शा मालिक बनाकर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसका विभाजन नगर स्थानीय निकायवार परिशिष्ट–1 में दिया हुआ है।

2. उपरोक्त योजना के अधीन लागत का 1/3 भाग अनुदान के रूप में सहायता देकर रिक्शा चालकों को रिक्शा का मालिक बनाया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी को लागत कके विरुद्ध मिलने वाले 33 1/3% अनुदान का समायोजना निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(क) लागत के 12-1/2 प्रतिशत बराबर की धनराशि (अधिकतम रु. 375) नेहरू रोजगार योजना की लघु उद्यम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपदों को उपलब्ध कराये गये केन्द्रांश से समायोजित की जायेगी।

(ख) लागत के 12-1/2 प्रतिशत बराबर की धनराशि (अधिकतम रु. 375) राज्यांश के रूप में इस शासनादेश के परिशिष्ट–II में स्तम्भ "3" के आगमन के अनुसार समायोजित की जायेगी।

(ग) रिक्शा चालक/लाभार्थी को अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान के रूप में लागत के 8-1/3 प्रतिशत अधिकतम रु.250/- की धनराशि इस शासनादेश के परिशिष्ट–II के स्तम्भ "4" में आगणित विवरण के अनुसार समायोजित की जाएगी।

3. उपरोक्तानुसार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में रु. 1,87,50,000/- तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान के रूप में सहायतार्थ

रु. 1,25,00,000 कुल रु. 3,12,50,000/- (रुपया तीन करोड़ बारह लाख पचास हजार रुपये मात्र) राज्यपाल महोदय संलग्न परिशिष्ट–II में उल्लिखित जनपदों को, उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परिशिष्ट–2 में नगर महापालिकाओं के लिए आबंटित धनराशि का आहरण मुख्य नगर अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा।

4. उपर्युक्त योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में अनुदान स्वरूप स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:–

(1) उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) यह प्रयास किया जाय कि स्वीकृत धनराशि शीघ्रताशीघ्र तथा किसी भी दशा में विलम्बतम दिनांक 30-11-90 तक राज्यकोष से आहरित करके स्थानीय निकायों में अवश्य वितरित कर दी जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 28-2-91 तक कर लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा को दिनांक 30-6-91 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाये।

(3) इस योजना का कार्यान्वयन चयनित राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रसंग में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त राष्ट्रीकृत बैंकों को उनके परिपत्र संख्या– एस.पी./बी.सी./120-एस.-यू.एम.आई.-1/89-90, दिनांक 15-6-90 में प्रेषित निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत सहायता की धनराशि नगर स्थानीय निकायों के माध्यम से चयनित बैंकों को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित नागर स्थानीय निकाय इस हेतु जनपद में प्रश्नगत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अलग खाते खोलेंगे। इस संबंध में नगर स्थानीय निकायों को चयनित बैंकों को इस आशय का अधिकार पत्र भी देना होगा कि बैंक खोले गये खातों में से सहायता की यथोचित धनराशि लाभार्थियों को यथावश्यकता (क्मइपज) कर सकता है।

(5) संबंधित नगर स्थानीय निकाय योजना के संतोषजनक एवं कुशल क्रियान्वयन हेतु सहायता के भुगतान हेतु खोले गये खाते में से सहायता की राशि एक बैंक से दूसरे बैंक में, इस हेतु खोले गये खाते में भी स्थानान्तरित कर सकती है। परन्तु इस आशय के निर्देश संबंधित अध्यक्ष/चेयरमैन एवं निकाय के अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही जा किये जा सकेंगे।

(6) बैंकों द्वारा यथासंभव स्वीकृत ऋण की सम्पूर्ण धनराशि, सहायता के राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित लाभार्थी को एक मुश्त भुगतान की जायेगी।

(7) योजनान्तर्गत लाभार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 7,200 से संबधित प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति तथा राशन कार्ड की उपलब्धता की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा संचालित "सेपअप" योजना के [redacted] उपरोक्त दोनों शर्तों के संबंध में लाभार्थियों से नियत परिशिष्ट के अनुसार घोषणा पत्र प्राप्त किया जाना इस मामले में पर्याप्त होगा।

5. चूँकि उपर्युक्त व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है अतः राज्यपाल महोदय रुपये 3,12,50,000 (रुपये तीन करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में आहरित किए जाने की स्वीकृति भी सहर्ष प्रदान करते हैं तथा जिसकी प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक अनुदान के माध्यम से करा दी जाएगी।

6. उक्त व्यय प्रथमत : "8000–आकस्मिकता निधि और अन्ततः अनुदान संख्या 3 के लेखाशीर्षक :–

2230–श्रम और रोजगार–आयोजनागत–	
02–रोजगार सेवाए	
01–नेहरू रोजगार का कार्यान्वयन	
0101–नगरीय लघु उद्यम योजना के अन्तर्गत स्थानीय नगर निकायों को विशेष अनुदान	
14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,25,00,000
02–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित/केन्द्रीय आयोजनागत योजनायें–	1,887,50,000
0201–नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय लघु उद्यमों के लिए स्थानीय नागर निकायों को अनुदान	
योगः–	**3,12,50,000**

भवदी

पी. उमाशंक
विशेष सचि

संख्या–ई.-6/सी.एफ./132/दस-1990

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

श्रीकान्त सिन्हा
संयुक्त सचि

संख्या–10(1)/9–ने.रो.यो.सेल/90–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिकाएं, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, संबंधित नोटीफाइट एरिया कमेटीज/टाउन एरिया कमेटीज, उ.प्र.
5. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग–6
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–2
11. संबंधित अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

पी. उमाशंकर
विशेष सचिव